vishikhamedia@gmail.com
विभिन्न विषयों पर आधारित राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका
RNI No. UTTHIN/2021/80704

_vishikhamedia/ vishikhamedia/

मूल्य:35 रूपये

vishikhamedia vishikhamedia.in

तीर निशाने पर

विशिखा

वर्ष:04 अंक:10 अक्टूबर 2024 पृष्ठ:32

उत्तराखण्ड संस्करण

धामी सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मानदेय में 5 हजार रुपये बढ़ाये

यह संशोधित मानदेय केंद्र सरकार की मजदूरी दरों में वृद्धि के आधार पर प्रस्तावित है। 2500 चतुर्थ श्रेणी पदों पर चयन के लिए ई-टेंडरिंग प्रक्रिया से एजेंसी का चयन किया जाएगा।

विशिखा

न्यूज़ 24x7

आपकी बात, आपके साथ

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

तीर निशाने पर

विशिखा

अब डिजिटल एडिशन में भी उपलब्ध

www.vishikhamedia.in

अंदर

धामी सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मानदेय में 5 हजार रुपये बढ़ाये

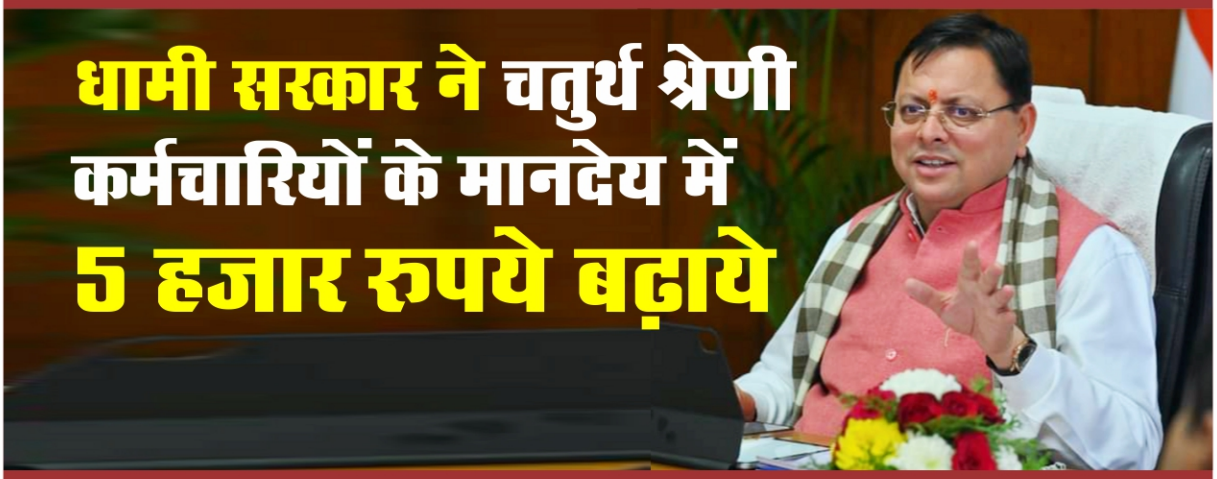

यह संशोधित मानदेय केंद्र सरकार की मजदूरी दरों में वृद्धि के आधार पर प्रस्तावित है। 2500 चतुर्थ श्रेणी पदों पर चयन के लिए ई-टेंडरिंग प्रक्रिया से एजेंसी का चयन किया जाएगा। 06

10 उत्तराखंड में बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीदी के मामले में मुख्यमंत्री ने मांगी रिपोर्ट

13 मन की बात के 10 साल पूरे होने पर मोदी हुए भावुक...

14 23 साल पूर्व जब राजनाथ सरकार के ऐसे ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी थी रोक

16 बंगाल का नया कानून अपराजिता बिल: पश्चिम बंगाल में अब दुष्कर्मी को मिलेगी फांसी

17 IMF ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया

18 आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ा, जानिए योजना से क्या फायदा होगा

20 अब 3D मेटावर्स पर दिखेंगे लखनऊ-प्रयागराज के पर्यटनल स्थल

प्रदेश के 100 प्रमुख स्थलों का होगा वर्चुअल भ्रमण

24 95 फीसदी मुस्लिम आबादी वाले ताजिकिस्तान में हिजाब पर रोक

विशिखा
तीर निशाने पर
अंक: 10 वर्ष:04, अक्टूबर 2024

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
प्रियल श्रीवास्तव
सम्पादक
अनिल कुमार श्रीवास्तव
डिजाइन
देवेन्द्र नेगी, उत्तराखण्ड

विशिखा
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक **अनिल कुमार श्रीवास्तव** द्वारा **भास्कर प्रिंटिंग प्रेस, डी.बी. कॉर्प लिमिटेड** शिवदासपुरा, टोंक रोड़, जयपुर से छपवाकर एवं **विशिखा मीडिया** सी-29, शिवलोक कॉलोनी, लाडपुर-राजपुर रोड़, देहरादून 248008 उत्तराखण्ड से प्रकाशित

पाठकों से अनुरोध है कि पत्रिका मे प्रकाशित सामग्री के विषय मे अपनी प्रतिक्रियाएं एवं सुझाव अवश्य भेजें। अपनी प्रतिक्रियाएं एवं सुझावों को आप हमें vishikhamedia@gmail.com पर ई-मेल भी कर सकते हैं।
लेखकों से निवेदन है कि कृपया अपनी स्व-लिखित एवं मौलिक रचनायें ही भेजें। रचनाओं के साथ अपना पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल एवं फोटो अवश्य भेजें। रचनाओं के छापने या न छापने का अधिकार संपादकीय मंडल का होगा। अस्वीकृत रचनायें लौटाई नहीं जाएंगी।
पत्रिका मे प्रकाशित सभी लेख एवं रचनाओं में संपादक की सहमति हो, यह आवश्यक नहीं है। पत्रिका मे प्रकाशित आलेख एवं रचनायें लेखकों के निजी विचार हैं। प्रकाशित सामग्री के उपयोग करने से पूर्व में संपादक की लिखित सहमति आवश्यक है।
*किसी भी तरह के विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर (राजस्थान) होगा।
*पत्रिका मे प्रकाशित कुछ चित्र, लेख एवं आंकड़ो को इन्टरनेट एवं अन्य वेवसाइट से लिया गया है।

विशिखा न्यूज़ 24x7
आपकी बात. आपके साथ

सम्पादक की कलम से

अनिल कुमार श्रीवास्तव

निर्भया केस के बाद देश को झकझोर देने वाले कोलकाता के आर जी कर अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार के बाद उसकी निर्मम तरीके से की गई हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। देश में एक बेटी के साथ हुई निर्ममता से कोलकाता सहित पूरे देश में धरना प्रदर्शन शुरू हो गए। कोलकाता में साथी डॉक्टरों ने काम का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले तो कोलकाता में साथी डॉक्टरों के साथ बात करना जरूरी नहीं समझा, पर डॉक्टरों के विरोध के चलते ममता बनर्जी ने उनसे मिली और उनकी मांगों को मानकर उनसे हड़ताल खत्म करने का आग्रह किया, और उनकी मांगों को मानने का आश्वासन दिया। फिलहाल आर जी कर अस्पताल के प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष की गिरफ्तारी तथा कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को हटाने की कार्यवाही तो हो गई, पर इसके साथ ही अन्य मांगों को मानने के आश्वासन मिलने के साथ ही फिलहाल वहां के कुछ डॉक्टर अभी तो कम पर आ गए, लेकिन उनके दिलों में जल रही आग की चिंगारी अभी भी बाकी है...

शेष फिर...

मुख्यमंत्री धामी ने राजस्थान के माउंट आबू स्थित आयोजित ग्लोबल समिट 2024 में प्रतिभाग किया

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्थान के माउंट आबू स्थित प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज ईश्वरीय विश्विद्यालय द्वारा आयोजित 'ग्लोबल समिट2024' में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने वैश्विक सम्मेलन में उपस्थित सभी विद्वान जनों का स्वागत और अभिनंदन किया।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है, जहां कणकण में शंकर का वास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा राज्य एक ओर जहां प्राकृतिक रूप से सुरम्य है वहीं आध्यात्मिक रूप से विशिष्ट भी है। विश्व के कोनेकोने से लोग देवभूमि उत्तराखंड में आकर स्वयं की खोज करते हैं। स्वयं को साधना में लगाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग उन्हें पूछते हैं कि देवभूमि में कितने देवस्थान हैं या कितने प्रसिद्ध स्थान हैं तो मेरा एक ही उत्तर होता है कि देवभूमि में जिधर भी आपकी नजर जाएगी वो हर स्थान देवों का है। हर स्थान हमारा पर्वतों, वनों से आच्छादित है, हर स्थान हिम ग्लेशियर, नदियों से आच्छादित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी देवभूमि से आकर आप सबके बीच आकर आप सबके कार्यक्रम से जुड़ना, आप सबके बीच आने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ यह उनके लिए सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे स्थान पर वही आ पाता है जिन पर बाबा की कृपा होगी। इसीलिए सब लोग यहां पर पहुँचे हैं।

उन्होंने कहा कि आज मैं भी एक जिज्ञासु बनकर आया हूँ, मुझे अपने भीतर भी एक आत्मिक शांति का एहसास हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे कई वर्षों से प्रजापिता ब्रह्मकुमारीज के कार्यक्रमों में आते रहे हैं। बहुत बार संस्थान के लोग माउंट आबू आने के लिए कहते थे। मन में आने की बहुत इच्छा भी रही। इसके पीछे का कारण परमपिता परमात्मा का असीम आशीर्वाद भी है और इस स्थान की महत्ता भी है और राज योगिनी दीदी मां रतन मोहिनी से जो स्नेह यहां मिलता है वह भी इसका बड़ा कारण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सबके लिए यह गर्व का विषय है कि संयुक्त राष्ट्र के साथ ही परामर्शदात्री दर्जा प्राप्त भारत की भूमि से उपजा हुआ यह स्थान विश्व के कोनेकोने में आज शांति, सद्भाव और मानवता का संदेश देने का कार्य कर रहा है। सच में लोगों को स्वयं को खोजने का एक बहुत बड़ा प्रकल्प चल रहा है। मैं आज यहां स्वच्छ और स्वस्थ समाज के निर्माण में आद्यात्मिक की महत्वपूर्ण भूमिका को ही समझने के लिए ही आया हूँ कि कैसे इन मूल्यों को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं ताकि सभी के लिए एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वसुधैव कुटुम्बकम भारतीय जीवन दर्शन का सार है। परस्पर भाईचारे का संदेश आज भी प्रासंगिक है। जिस प्रकार से नई तकनीक हमें भौतिक सुख प्रदान करती है वैसे ही आध्यात्मिकता हमें आंतरिक सुख प्रदान करती है। हमारे शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य पूर्ण संतुलन बनाने का काम करती है। पूरे विश्व के अंदर यह संस्था करोड़ो लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम कर रहा है। ब्रह्कुमारीज संस्था से जुड़ी बहने और भाइयों द्वारा जीवन जीने की कल बहुत ही सरल शब्दों में लोगों को समझाया जाता है, उससे आमजनमानस में भी आसानी से इन विषयों को जानकर लोग अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। इस प्रकार के जो बदलाव हैं, इनको मैंने अपने जीवन में महसूस किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम आध्यात्मिकता को अस्तित्व के एक भागीदार के रूप में देखने लगते हैं तो हमारा मन स्वतः ही स्वच्छ होने लगता है। हमे अहसास होता है कि यह हमारे जीवन की आवश्यकता नहीं है बल्कि जीवन की अनिवार्यता है। आध्यात्मिकता की वह शक्ति है जो शरीर को बाहरी व अंदरूनी रूप से स्वच्छ रखने के साथ साथ मानसिक और शारीरिक दबावों को सहने के सामर्थ्य प्रदान करती है। स्वच्छ और स्वस्थ समाज का निर्माण केवल आधुनिक तरीके व कानूनों से भी संभव नहीं है कि केवल हम कानून व अन्य तरह से इसको कर पाएं बल्कि इस लक्ष्य को जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों को शामिल करके ही हासिल किया जा सकता है। इस अवसर पर भारत सरकार के रेल एवं फूड प्रोसेसिंग मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद श्री महेंद्र भट्ट,गोरखपुर के सांसद श्री रवि किशन आदि उपस्थित रहे।

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

धामी सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मानदेय में 5 हजार रुपये बढ़ाये

यह संशोधित मानदेय केंद्र सरकार की मजदूरी दरों में वृद्धि के आधार पर प्रस्तावित है। 2500 चतुर्थ श्रेणी पदों पर चयन के लिए ई-टेंडरिंग प्रक्रिया से एजेंसी का चयन किया जाएगा।

उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में आउटसोर्सिंग के जरिए नियुक्त किए जाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अब 20,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। यह संशोधित मानदेय केंद्र सरकार की मजदूरी दरों में वृद्धि के आधार पर प्रस्तावित है। 2500 चतुर्थ श्रेणी पदों पर चयन के लिए ई-टेंडरिंग प्रक्रिया से एजेंसी का चयन किया जाएगा। इन प्रस्तावों पर शासन स्तर पर विचार-विमर्श चल रहा है और अक्टूबर में इन कर्मचारियों की नियुक्ति शुरू हो सकती है। फिलहाल कर्मचारियों की कमी से स्कूलों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मजदूरी दरों में की गई वृद्धि के आधार पर संशोधित मानदेय का प्रस्ताव तैयार किया गया है। साथ ही, 2500 पदों की नियुक्ति के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन अब ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

शिक्षा विभाग ने पहले उपनल और पीआरडी के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पर विचार किया था, लेकिन यह योजना सफल नहीं हो सकी। इसके बाद जेम पोर्टल पर 78 एजेंसियों ने आवेदन किया, लेकिन कोई भी मानकों पर खरा नहीं उतरा। अब एजेंसी का चयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से किया जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में मजदूरी दरें बढ़ाई हैं, जिसके अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का मानदेय 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। इस पर शासन स्तर पर विचार हो रहा है और पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए गए हैं।

उत्तराखंड में बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीदी के मामले में मुख्यमंत्री ने मांगी रिपोर्ट

प्रदेश सरकार ने राजस्व सचिव से 12.50 एकड़ से अधिक भूमि के उपयोग का ब्यौरा मांगा गया है। सरकार को इस छूट के दुरुपयोग की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं, जिसके आधार पर जांच के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्व सचिव एसएन पांडेय को विशेष निर्देश दिए हैं कि वे यह जांच करें कि अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी और पौड़ी जिलों में राज्य के बाहर के कितने लोगों ने 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि खरीदी है। यदि एक ही परिवार के सदस्यों ने नियमों का उल्लंघन कर

भूमि खरीदी है, तो विभाग इसे सरकार को सूचित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने उन व्यक्तियों की भी जांच करने के निर्देश दिए हैं, जिन्होंने निवेश के नाम पर 12.50 एकड़ भूमि खरीदी है, लेकिन उसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं। सरकार को मिली शिकायतों के आधार पर, राजस्व सचिव से इस संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी गई है।

मुख्यमंत्री ने भूमि बंदोबस्त और चकबंदी की प्रक्रिया को तेज करने के भी निर्देश दिए हैं और आगामी बजट सत्र में व्यापक भू–कानून लाने की योजना का जिक्र किया है।

भूमि सौदों में अनियमितताओं पर मुख्यमंत्री का सख्त रुख

मुख्यमंत्री के फैसले के बाद विभिन्न क्षेत्रों से शिकायतें आनी शुरू हो गई हैं। राज्य आंदोलनकारियों ने कहा है कि कुछ प्रॉपर्टी डीलर एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग की जमीनों का पहले खुद सौदा कर रहे हैं और फिर उन्हें अन्य वर्गों के लोगों को बेच रहे हैं, जबकि गांव वाले ऐसा नहीं चाहते।

गोलापार में ऐसी बस्तियाँ भी बसाई गई हैं। मुख्यमंत्री ने इस मामले की जांच के लिए राजस्व सचिव को निर्देश दिए हैं। आरक्षित वर्ग की जमीनों को योजनाबद्ध तरीके से बेचने की शिकायतें भी आई हैं, जिससे जनसांख्यिकी में परिवर्तन हो रहा है। यदि जमीन की खरीद–फरोख्त में नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।

उत्तराखंड में बेरोजगारी घटी, युवाओं को मिले नए अवसर

उत्तराखंड ने रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। पिछले एक साल में रोजगार के अवसरों में वृद्धि के कारण बेरोजगारी दर में कमी आई है, जिससे युवाओं के लिए नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारा उद्देश्य उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाना है। सभी आयु वर्गों में बेरोजगारी दर 4.5 प्रतिशत से घटकर 4.3 प्रतिशत हो गई है, जबकि 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में यह दर 14.2 प्रतिशत से घटकर 9.8 प्रतिशत पर आ गई है। उत्तराखंड में वर्ष 2022–23 की तुलना में 2023–24 में सभी आयु वर्गों में श्रमिक जनसंख्या अनुपात में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। 15–29 वर्ष के आयु वर्ग में यह अनुपात 27.5 प्रतिशत से बढ़कर 44.2 प्रतिशत हो गया है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। इसी तरह, 15–59 वर्ष के आयु वर्ग में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 57.2 प्रतिशत से बढ़कर 61.2 प्रतिशत तक पहुंच गया है, और 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में यह अनुपात 53.5 प्रतिशत से बढ़कर 58.1 प्रतिशत हो गया है।

उत्तराखंड ने श्रमिक जनसंख्या अनुपात में राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ दिया है। 15–29 वर्ष के आयु वर्ग में उत्तराखंड का औसत 49 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 46.5 प्रतिशत है। इसी प्रकार, 15–59 वर्ष के आयु वर्ग में उत्तराखंड का औसत 64.4 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 64.3 प्रतिशत है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में उत्तराखंड का औसत 60.7 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 60.1 प्रतिशत है।

उत्तराखंड में श्रम बल भागीदारी दर में भी वृद्धि देखी गई है। 2022–23 की तुलना में 2023–24 में 15–29 वर्ष के आयु वर्ग में यह दर 43.7 प्रतिशत से बढ़कर 49 प्रतिशत हो गई है। इसी तरह,

15–59 वर्ष के आयु वर्ग में यह दर 60.1 प्रतिशत से बढ़कर 64.4 प्रतिशत हो गई है, और 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में यह दर 56 प्रतिशत से बढ़कर 60.7 प्रतिशत हो गई है।

राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण की स्थापना को नहीं मिली सरकार की मंजूरी

प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षा में सुधार के लिए प्रस्तावित राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण की स्थापना को दो साल बीत जाने के बावजूद सरकार से मंजूरी नहीं मिली है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने वर्ष 2022 में इसका प्रस्ताव भेजा था, लेकिन मंजूरी न मिलने के कारण स्कूलों के लिए न्यूनतम मानक तय करने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह सिफारिश की गई थी कि सभी स्कूलों में न्यूनतम गुणवत्ता और व्यावसायिक मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र राज्य स्तरीय निकाय का गठन किया जाए। राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण इन मानकों में बुनियादी संरचनाएं, सुरक्षा उपाय, स्कूलों में विषयों और कक्षाओं के अनुसार शिक्षकों की संख्या आदि को शामिल करेगा, जिनका पालन सभी सरकारी और निजी स्कूल करेंगे।

सरकार ने 5 जनवरी 2022 को उत्तराखंड के राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण के रूप में नामित किया था, जो एक स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करने वाला था। इसके लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने प्रस्ताव भेजा था, लेकिन वह फाइलों में ही अटका हुआ है।

प्राधिकरण के लिए अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में प्रस्तावित थे – सरकार द्वारा नामित शिक्षाविद, सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी या सेवानिवृत्त न्यायाधीश जिनका शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा हो। साथ ही इसमें महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक, एनआईसी के निदेशक, सीबीएसई के क्षेत्रीय निदेशक, अपर निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, शिक्षा महानिदेशालय के संयुक्त निदेशक, सरकार द्वारा नामित आईसीएसई स्कूल के प्रधानाचार्य, सीबीएसई से संबद्ध निजी स्कूल के प्रधानाचार्य, और शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओ को सदस्य बनाया जाना था।

मुख्यमंत्री ने उन व्यक्तियों की भी जांच करने के निर्देश दिए हैं, जिन्होंने निवेश के नाम पर 12.50 एकड़ भूमि खरीदी है, लेकिन उसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं। सरकार को मिली शिकायतों के आधार पर, राजस्व सचिव से इस संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी गई है। मुख्यमंत्री ने भूमि बंदोबस्त और चकबंदी की प्रक्रिया को तेज करने के भी निर्देश दिए हैं और आगामी बजट सत्र में व्यापक भू-कानून लाने की योजना का जिक्र किया है।

प्रस्ताव में कहा गया कि प्राधिकरण के सदस्य तीन साल के लिए नामित होंगे। राज्य में खासतौर पर निजी स्कूलों में हर साल फीस में मनमाने तरीके से बढ़ोतरी और सुविधाओं की कमी की शिकायतें आती रही हैं। ऐसे में प्राधिकरण को 16,501 सरकारी और 5,396 निजी स्कूलों के लिए न्यूनतम मानक तय करने थे। यह भी प्रस्तावित था कि प्राधिकरण स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले विषय, फीस आदि की जानकारी को सार्वजनिक करेगा और निजी स्कूलों में शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण भी करेगा। इसके अलावा, स्कूलों की मान्यता की शर्तें तय करने, उनका पालन कराने और किसी भी शिकायत की जांच करने का जिम्मा भी प्राधिकरण का होगा। यह एक अर्द्ध न्यायिक आयोग के रूप में कार्य करेगा, जो किसी स्कूल की मान्यता समाप्त करने या उसे दंडित करने का अधिकार रखेगा।

प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जिसे अभी मंजूरी नहीं मिली। –बंदना, निदेशक एससीईआरटी

उत्तराखंडः सरकार की लापरवाही से शिक्षक भर्ती में चयनित महिला अभ्यर्थियों को नहीं मिली नियुक्ति

प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पद पर चयनित 52 शिक्षिकाओं की नियुक्ति जाति प्रमाण पत्र की समस्या के कारण अटकी हुई है। शिक्षा निदेशालय ने इस मामले में शासन से यह पूछते हुए दिशा–निर्देश मांगा है कि इन शिक्षिकाओं को आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए या नहीं। लेकिन एक महीने बीत जाने के बाद भी शासन की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।

इन शिक्षिकाओं का चयन शिक्षक पद के लिए हुआ है और ये सभी महिला अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा से हैं, जिनकी शादी उत्तराखंड में हुई है। प्रदेश में इन दिनों 2906 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अनुसार, इन शिक्षिकाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं, इस पर अभी तक कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिला है। इसी वजह से चयन के बावजूद उनकी नियुक्ति अटकी हुई है। अधिकारी कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति की इन अभ्यर्थियों को, जिनका विवाह उत्तराखंड में हुआ है, आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए या नहीं, यह फैसला होना बाकी है। जब जाति प्रमाण पत्र की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, तभी पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे।

शिक्षक के पद पर चयनित 52 महिला अभ्यर्थियों के मामले में शासन से अब तक कोई दिशा–निर्देश नहीं मिला। –

–आरएल आर्य,
अपर शिक्षा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा

उपचुनाव से पहले सीएम ने दी केदारनाथ विधानसभा को सौगात, बोले मैं खुद विधायक बनकर करूंगा काम

केदारघाटी में सीएम धामी को देखने सुनने मिलने। उमड़ी भीड़ मातृ शक्ति का सीधा सीएम को आशीर्वाद

उपचुनाव से पहले सीएम ने दी केदारनाथ विधानसभा को सौगात, बोले मैं खुद विधायक बनकर करूंगा काम

केदारनाथ उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ विधानसभा को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने बीते रविवार को रुद्रप्रयाग दौरे से लौटने के बाद स्थानीय जनता की मांग के अनुरूप 14 अन्य महत्वपूर्ण विषय घोषणा में शामिल किए हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने केदारघाटी सहित पूरे जनपद के लिये 25 घोषणाएं की इन 14 घोषणाओं समेत अब कुल 39 घोषणाओं को मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने अपने वादे के अनुरूप केदारघाटी समेत, तल्ला नागपुर, कालीमठ घाटी, मध्यमहेश्वर घाटी के लिए भी विभिन्न विकास योजनाओं की घोषणा की है।

केदारनाथ की विधायक शैलारानी रावत के निधन के बाद सीएम ने केदारनाथ विधानसभा की जनता से वादा करते हुए कहा कि जब तक आपका विधायक नहीं बनता तब तक मैं खुद विधायक बनकर काम करूंगा। सीएम सचिव विनय शंकर पांडेय ने बताया कि सीएम द्वारा रुद्रप्रयाग के लिए की गई 25 घोषणाओं के अलावा 14 अन्य घोषणाओं को मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल किया है। मुख्यमंत्री द्वारा की गई 14 अन्य घोषणाओं में मणिगुहा में नन्दाबाड़ी से सरकारी अस्पताल को जोड़ते हुए धौनिक तक दो किमी सडक का निर्माण, मचकण्डी से सौर भूतनार्थ (अगस्तमुनि) मन्दिर तक तीन किमी मोटर मार्ग निर्माण, बासवाडा जलई किरधू गौर कण्डारा (अगस्तमुनि) द्वितीय चरण मोटर मार्ग निर्माण कार्य सहित अन्य घोषणाएं शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश और प्रदेशवासियों के हित में जल्द सख्त भू–कानून लागू होने जा रहा है। जिन लोगों ने अवैध रूप से जमीनों की खरीद फरोख्त की है उनसे जमीन वापस लेकर सरकारी भूमि में निहित की जाएगी। वहीं देश में सर्वप्रथम समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला प्रदेश भी उत्तराखण्ड बनने जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि केदारनाथ धाम एक था, एक है और एक ही रहेगा, देश में किसी भी स्थान पर उत्तराखंड के चार धामों के प्रयोग कर कोई मंदिर नही बनने दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को नई पहचान दिलाने के लिए मातृशक्ति बड़ी अहम भूमिका निभा रही है। पूरे प्रदेश के अंदर सैकड़ों की संख्या में महिला स्वयं सहायता समूहों में जुड़ी हजारों महिलाएं वर्ड क्लास उत्पाद तैयार कर अपने समूह और राज्य को नई पहचान दिला रही हैं। लगातार उनकी आजीविका में सुधार हो रहा है। वहीं प्रदेश सरकार ने हाउस ऑफ हिमालयाज कम्पनी का गठन कर प्रदेश के उत्पादों की नई सिरे से ब्रांडिंग कर मातृशक्ति को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। इन्हीं महिला समूहों द्वारा 110 आउटलेट चारधाम यात्रा मार्गों पर खोले गए हैं जिनसे उनकी आजीविका सुदृढ़ हो रही है। रुद्रप्रयाग जनपद में 4000 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनने में सफल रही हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा, जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेई शाह, विधायक रुद्रप्रयाग भरत सिंह चौधरी, राज्यमंत्री चंडी प्रसाद भट्ट, विधायक शक्ति लाल शाह, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा आशा नौटियाल, भाजपा जिलाध्यक्ष महावीर पंवार, प्रदेश महामंत्री भाजपा आदित्य कोठरी, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय, आईजी करन नगन्याल, जिलाधिकारी सौरभ गहरवार, पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रह्लाद कोंडे, मुख्य विकास अधिकारी डॉ जीएस खाती सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी एवं भारी संख्या में मातृशक्ति एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे।

उत्तराखंड में बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीदी के मामले में मुख्यमंत्री ने मांगी रिपोर्ट

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्व सचिव एसएन पांडेय को विशेष निर्देश दिए हैं कि वे यह जांच करें कि अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी और पौड़ी जिलों में राज्य के बाहर के कितने लोगों ने 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि खरीदी है।

प्रदेश सरकार ने राजस्व सचिव से 12.50 एकड़ से अधिक भूमि के उपयोग का ब्यौरा मांगा गया है। सरकार को इस छूट के दुरुपयोग की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं, जिसके आधार पर जांच के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्व सचिव एसएन पांडेय को विशेष निर्देश दिए हैं कि वे यह जांच करें कि अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी और पौड़ी जिलों में राज्य के बाहर के कितने लोगों ने 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि खरीदी है। यदि एक ही परिवार के सदस्यों ने नियमों का उल्लंघन कर भूमि खरीदी है, तो विभाग इसे सरकार को सूचित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने उन व्यक्तियों की भी जांच करने के निर्देश दिए हैं, जिन्होंने निवेश के नाम पर 12.50 एकड़ भूमि खरीदी है, लेकिन उसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं। सरकार को मिली शिकायतों के आधार पर, राजस्व सचिव से इस संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी गई है। मुख्यमंत्री ने भूमि बंदोबस्त और चकबंदी की प्रक्रिया को तेज करने के भी निर्देश दिए हैं और आगामी बजट सत्र में व्यापक भू–कानून लाने की योजना का जिक्र किया है।

भूमि सौदों में अनियमितताओं पर मुख्यमंत्री का सख्त रुख

मुख्यमंत्री के फैसले के बाद विभिन्न क्षेत्रों से शिकायतें आनी शुरू हो गई हैं। राज्य आंदोलनकारियों ने कहा है कि कुछ प्रॉपर्टी डीलर एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग की जमीनों का पहले खुद सौदा कर रहे हैं और फिर उन्हें अन्य वर्गों के लोगों को बेच रहे हैं, जबकि गांव वाले ऐसा नहीं चाहते। गोलापार में ऐसी बस्तियाँ भी बसाई गई हैं। मुख्यमंत्री ने इस मामले की जांच के लिए राजस्व सचिव को निर्देश दिए हैं। आरक्षित वर्ग की जमीनों को योजनाबद्ध तरीके से बेचने की शिकायतें भी आई हैं, जिससे जनसांख्यिकी में परिवर्तन हो रहा है। यदि जमीन की खरीद–फरोख्त में नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।

उत्तराखंड में बेरोजगारी घटी, युवाओं को मिले नए अवसर

उत्तराखंड ने रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। पिछले एक साल में रोजगार के अवसरों में वृद्धि के कारण बेरोजगारी दर में कमी आई है, जिससे युवाओं के लिए नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारा उद्देश्य उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाना है। सभी आयु वर्गों में बेरोजगारी दर 4.5 प्रतिशत से घटकर 4.3 प्रतिशत हो गई है, जबकि 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में यह दर 14.2 प्रतिशत से घटकर 9.8 प्रतिशत पर आ गई है। उत्तराखंड में वर्ष 2022–23 की तुलना में 2023–24 में सभी आयु वर्गों में श्रमिक जनसंख्या अनुपात में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। 15–29 वर्ष के आयु वर्ग में यह अनुपात 27.5 प्रतिशत से बढ़कर 44.2 प्रतिशत हो गया है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। इसी तरह, 15–59 वर्ष के आयु वर्ग में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 57.2 प्रतिशत से बढ़कर 61.2 प्रतिशत तक पहुंच गया है, और 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में यह अनुपात 53.5 प्रतिशत से बढ़कर 58.1 प्रतिशत हो गया है।

उत्तराखंड ने श्रमिक जनसंख्या अनुपात में राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ दिया

है। 15–29 वर्ष के आयु वर्ग में उत्तराखंड का औसत 49 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 46.5 प्रतिशत है। इसी प्रकार, 15–59 वर्ष के आयु वर्ग में उत्तराखंड का औसत 64.4 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 64.3 प्रतिशत है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में उत्तराखंड का औसत 60.7 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 60.1 प्रतिशत है।

उत्तराखंड में श्रम बल भागीदारी दर में भी वृद्धि देखी गई है। 2022–23 की तुलना में 2023–24 में 15–29 वर्ष के आयु वर्ग में यह दर 43.7 प्रतिशत से बढ़कर 49 प्रतिशत हो गई है। इसी तरह, 15–59 वर्ष के आयु वर्ग में यह दर 60.1 प्रतिशत से बढ़कर 64.4 प्रतिशत हो गई है, और 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में यह दर 56 प्रतिशत से बढ़कर 60.7 प्रतिशत हो गई है।

राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण की स्थापना को नहीं मिली सरकार की मंजूरी

प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षा में सुधार के लिए प्रस्तावित राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण की स्थापना को दो साल बीत जाने के बावजूद सरकार से मंजूरी नहीं मिली है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने वर्ष 2022 में इसका प्रस्ताव भेजा था, लेकिन मंजूरी न मिलने के कारण स्कूलों के लिए न्यूनतम मानक तय करने की

उत्तराखंड ने रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। पिछले एक साल में रोजगार के अवसरों में वृद्धि के कारण बेरोजगारी दर में कमी आई है, जिससे युवाओं के लिए नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारा उद्देश्य उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाना है।

प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह सिफारिश की गई थी कि सभी स्कूलों में न्यूनतम गुणवत्ता और व्यावसायिक मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र राज्य स्तरीय निकाय का गठन किया जाए। राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण इन मानकों में बुनियादी संरचनाएं, सुरक्षा उपाय, स्कूलों में विषयों और कक्षाओं के अनुसार शिक्षकों की संख्या आदि को शामिल करेगा, जिनका पालन सभी सरकारी और निजी स्कूल करेंगे।

सरकार ने 5 जनवरी 2022 को उत्तराखंड के राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण के रूप में नामित किया था, जो एक स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करने वाला था। इसके लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने प्रस्ताव भेजा था, लेकिन वह फाइलों में ही अटका हुआ है। प्राधिकरण के लिए अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में प्रस्तावित थे – सरकार द्वारा नामित शिक्षाविद, सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी या सेवानिवृत्त न्यायाधीश जिनका शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा हो। साथ ही इसमें महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक, एनआईसी के निदेशक, सीबीएसई के क्षेत्रीय निदेशक, अपर निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, शिक्षा महानिदेशालय के संयुक्त निदेशक, सरकार द्वारा नामित आईसीएसई स्कूल के प्रधानाचार्य, सीबीएसई से संबद्ध निजी स्कूल के प्रधानाचार्य, और शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओ को सदस्य बनाया जाना था।

प्रस्ताव में कहा गया कि प्राधिकरण के सदस्य तीन साल के लिए नामित होंगे। राज्य में खासतौर पर निजी स्कूलों में हर साल फीस में मनमाने तरीके से बढ़ोतरी और सुविधाओं की कमी की शिकायतें आती रही हैं। ऐसे में प्राधिकरण को 16,501 सरकारी और 5,396 निजी स्कूलों के लिए न्यूनतम मानक तय करने थे। यह भी प्रस्तावित था कि प्राधिकरण स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले विषय, फीस आदि की जानकारी को सार्वजनिक करेगा और निजी स्कूलों में शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण भी करेगा। इसके अलावा, स्कूलों की मान्यता की शर्तें तय करने, उनका पालन कराने और किसी भी शिकायत की जांच करने का जिम्मा भी प्राधिकरण का होगा। यह एक अर्द्ध न्यायिक आयोग के रूप में कार्य करेगा, जो किसी स्कूल की मान्यता समाप्त करने या उसे दंडित करने का अधिकार रखेगा।

प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जिसे अभी मंजूरी नहीं मिली।

–बंदना, निदेशक एससीईआरटी

जूनियर महिला अफसर ने वायुसेना की इंटरनल कमेटी पर सवाल उठाए, कहा सेना में भी हो POSH कमेटी

वायुसेना के प्रवक्ता ने कहा कि वे इस मामले पर ज्यादा टिप्पणी करना सही नहीं समझते क्योंकि यह मामला अदालत में विचाराधीन है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बडगाम थाने की पुलिस ने श्रीनगर वायु स्टेशन से संपर्क किया था, और जांच में पूरा सहयोग दिया जा रहा है। श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन में तैनात एक महिला फ्लाइंग अधिकारी ने अपने साथ हुए दुष्कर्म के मामले में एयरफोर्स स्टेशन की आंतरिक समिति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बडगाम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते हुए उसी स्टेशन पर तैनात एक विंग कमांडर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने सवाल उठाया कि आंतरिक समिति गठित करने में दो महीने क्यों लगे, जबकि वह पिछले दो सालों से यौन उत्पीड़न और मानसिक यातना का सामना कर रही थीं।

कमेटी पर उठे सवाल:

पीड़िता के वकील, रिटायर्ड कर्नल अमित कुमार ने बताया कि पीड़िता को मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के लिए बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि आंतरिक समिति पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने आरोपी अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की। एयरफोर्स स्टेशन को कमेटी गठित करने में दो महीने लगे और यह कमेटी 2 अप्रैल 2024 को बनाई गई। उन्होंने सवाल उठाया कि पीड़िता को इंसाफ क्यों नहीं मिला। कर्नल अमित ने यह भी कहा कि अधिकारी पीड़िता का समर्थन करने की बजाय आरोपी विंग कमांडर का पक्ष ले रहे हैं। पीड़िता की मेडिकल जांच भी कई बार अनुरोध करने के बावजूद नहीं की गई, और अंततः जांच कमेटी के अंतिम दिन यह जांच कराई गई। शिकायतकर्ता ने एक गवाह को बुलाने की मांग की थी, लेकिन उसे बयान देने से पहले ही कैंप से हटा दिया गया।

पीड़िता ने आरोप लगाया है कि वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने सवाल उठाया कि आंतरिक समिति गठित करने में दो महीने क्यों लगे, जबकि वह पिछले दो सालों से यौन उत्पीड़न और मानसिक यातना का सामना कर रही थीं।

POSH से सेनाएं दूर क्यों:

कर्नल अमित ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद जब सभी संस्थानों में यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए POSH (प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट) कमेटी है, तो सेना इस प्रक्रिया से दूर क्यों है? उन्होंने कहा कि सेना में आंतरिक कमेटियां बनाई जाती हैं, जिनमें सेना के अधिकारी होते हैं जो आरोपी का पक्ष लेते हैं। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है, पीड़िता जूनियर अधिकारी हैं जबकि आरोपी वरिष्ठ। उन्होंने कहा कि POSH कमेटियों में बाहरी सदस्य भी होते हैं और महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है।

आंतरिक समिति का जवाब:

आंतरिक समिति ने बाद में कहा कि चश्मदीद गवाहों की कमी के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि घटना घटी थी या नहीं। जांच 15 मई को समाप्त हो गई, लेकिन अब तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और पीड़िता को कोई सूचना नहीं दी गई। पीड़िता का कहना है कि जब उसे पता चला कि वायुसेना के अधिकारियों ने आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, तो उसे मजबूरन जम्मू–कश्मीर पुलिस में एफआईआर दर्ज करानी पड़ी।

रक्षा मंत्रालय से गंभीरता की मांग:

कर्नल अमित ने कहा कि ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। पीड़िता युवा और जूनियर अधिकारी हैं, जिन्हें कानून और प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने रक्षा मंत्रालय से ऐसी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि निष्पक्षता बनाए रखने के लिए पीड़िता को उसकी वर्तमान यूनिट से अलग किया जाना चाहिए।

मानसिक आघात में पीड़िता

पीड़िता ने बडगाम पुलिस स्टेशन में 8 सितंबर को आईपीसी की धारा 376 (2) के तहत एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि 31 दिसंबर 2023 को नए साल की पार्टी में विंग कमांडर ने उन्हें यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया। पीड़िता ने बताया कि वह मानसिक आघात में थीं और इसलिए शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाईं, लेकिन अंततः उन्होंने लड़ने का फैसला किया।

'मन की बात' के 10 साल पूरे होने पर मोदी हुए भावुक, कहा- श्रोता ही इस कार्यक्रम के असली सूत्रधार हैं

पीएम मोदी ने कहा कि लोगों को हौसला देने वाली कहानियां बहुत पसंद आती हैं। अक्सर यह धारणा होती है कि जब तक कोई चटपटी या नकारात्मक बात न हो, उसे खास तवज्जो नहीं मिलती।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 114वीं बार श्मन की बातश कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि आज का एपिसोड मेरे लिए बेहद भावुक करने वाला है, क्योंकि 'मन की बात' की यह यात्रा अब 10 साल पूरे कर रही है। उन्होंने बताया कि 'मन की बात' की शुरुआत 10 साल पहले 3 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन हुई थी। यह एक पवित्र संयोग है कि इस साल जब 3 अक्टूबर को इस यात्रा के दस साल पूरे होंगे, तब नवरात्रि का पहला दिन होगा। इस लंबी यात्रा के कई ऐसे महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता। करोड़ों श्रोता इस यात्रा के साक्षी और सहयोगी रहे हैं, जिन्होंने मुझे देश के हर कोने से महत्वपूर्ण जानकारी दी। श्रोता ही इस कार्यक्रम की असली धुरी हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि लोगों को हौसला देने वाली कहानियां बहुत पसंद आती हैं। अक्सर यह धारणा होती है कि जब तक कोई चटपटी या नकारात्मक बात न हो, उसे खास तवज्जो नहीं मिलती। लेकिन 'मन की बात' ने यह साबित किया है कि देशवासियों के बीच सकारात्मक सूचनाओं की कितनी मांग है। प्रेरणादायक कहानियां और हौसला बढ़ाने वाली घटनाएं लोगों को बेहद पसंद आती हैं।

उदाहरण देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक पक्षी होता है श्चकोरश, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह सिर्फ बारिश की बूंद ही पीता है।

"मन की बात" में हमने देखा है कि लोग भी चकोर की तरह देश की उपलब्धियों और सामूहिक प्रयासों को गर्व से सुनते हैं। 'मन की बात' की दस साल की यात्रा एक ऐसी माला की तरह है, जिसमें हर एपिसोड के साथ नई कहानियां, नए कीर्तिमान और नए व्यक्तित्व जुड़ते जाते हैं। हमारे समाज में जो भी सामूहिकता के साथ कार्य हो रहे हैं, उन्हें श्मन की बातश के माध्यम से सम्मान मिलता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जब मैं 'मन की बात' के लिए आई चिट्ठियों को पढ़ता हूं, तो मेरा मन गर्व और ऊर्जा से भर जाता है। हमारे देश में कितने प्रतिभाशाली लोग हैं, जो निस्वार्थ भाव से समाज और देश की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। उनके बारे में जानकर मुझे अपार ऊर्जा मिलती है। श्मन की बातश की पूरी प्रक्रिया मेरे लिए ऐसी है जैसे मंदिर जाकर ईश्वर के दर्शन करना। 'मन की बात' की हर घटना, हर बात, और हर चिट्ठी मुझे जनता जनार्दन के दर्शन कराने जैसी लगती है, जो मेरे लिए ईश्वर के समान हैं।

23 साल पूर्व जब राजनाथ सरकार के ऐसे ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी थी रोक

सुप्रीम कोर्ट के सात जजों की पीठ ने बीते गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाया है। पीठ के छह जजों के कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में सब-कैटेगरी को भी आरक्षण दिया जा सकता है।

अजय कुमार, लखनऊ

सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बैंच ने अपने एतिहासिक फैसले में अनुसूचित जातियों को मिलने वाले आरक्षण प्रक्रिया मे बड़ा बदलाव करते हुए अनुसूचित जातियों में अति पिछड़ी अनुसूचति जातियों को चिन्हित करके उन्हें फायदा पहुंचाने के लिये कोटा में कोटा का जो आदेश पारित किया है। वह हिन्दुस्तान में लम्बे समय से चल रही आरक्षण की सियासत में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। अभी इस पर बीजेपी को छोड़कर किसी भी दल के बड़े नेता की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, फिलहाल सिर्फ बीजेपी ही अनुसूचित जातियों को कोटे में कोटा देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गद्गद है और उसके शिक्षा मंत्री धमेन्द्र प्रधान द्वारा इसे सत्य की जीत बताया गया है। सबसे खास बात यह है कि पिछड़ों को मिलने वाले आरक्षण मे जैसे क्रिमी लेयर को बाहर रखा जाता था, वैसे ही अब एससी/एसटी को मिलने वाले आरक्षण में भी क्रिमी लेयर लागू होगी।

बहरहाल, यूपी में ऐसा ही प्रयास 23 साल पूर्व 2001 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने भी किया था, जिस पर राजनाथ सिंह सरकार में ही राज्य मंत्री और शिकोहाबाद से विधायक अशोक यादव अपनी ही सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गये थे और तब सुप्रीम कोर्ट ने उनके (राजनाथ सरकार) फैसले पर रोक लगा दी थी जिसे अब उसने कानून बना दिया है। अब राजनाथ सिंह मौजूदा केंद्र सरकार में गृहमंत्री हैं। राजनाथ सरकार ने अन्य पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के समूहों को उप समूहों बांटकर तय आरक्षित कोटे में विभाजन का प्रयास किया था।

राजनाथ सरकार ने जो समूह बनाए थे वे आय आधारित क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर जैसे नहीं थे, बल्कि कई जातियों को आरक्षण के दायरे से ही बाहर करने का प्रयास किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राजनाथ सरकार की कोशिशों पर पानी फेर दिया था, और उनके प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया।

उस समय उत्तर प्रदेश की राजनाथ सिंह सरकार ने पिछड़ी जातियों के 27 फीसदी कोटे में यादव, अहिर और यदुवंशियों का कोटा 5 फीसदी तय किया था, जबकि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के 21 फीसदी कोटे में जाटव, चमार और धुसिया जातियों का कोटा 10 फीसदी तय किया गया था। अनुसूचित जनजातियों का कोटा घटा कर दो से एक फीसदी कर दिया गया था, ताकि प्रदेश में कुल कोटा 50 फीसदी तक ही बना रहे। राजनाथ सरकार के फैसले का राजनीतिक दलों समेत जाति समूहों ने भी कड़ा विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को रद्द कर चुका है, हालांकि राजनाथ सिंह की निजी वेबसाइट पर ये एक उपलब्धि के रूप में दर्ज है। बता दें जून, 2001 में राजनाथ सिंह एक समिति बनाई थी, जिसे उन्होंने 'सामाजिक न्याय समिति'

नाम दिया था। यूपी सरकार के तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री हुकुम सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, स्वास्थ्य मंत्री रमापति शास्त्री और विधान परिषद सदस्य दयाराम पाल सदस्य थे। समिति को ये पता करने जिम्मेदारी दी गई थी कि आरक्षण का लाभ उन्हें मिल पा रहा है या नहीं, जिन्हें इनकी आवश्यकता है। समिति को आरक्षण नीति में बदलाव की सिफारिशें देने का निर्देश भी दिया गया था। भाजपा सरकार ने ये फैसला 'आरक्षण नीतियों की गड़बड़ियां' दूर करने के लिए किया था।

सामाजिक न्याय समिति ने 60 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। भाजपा सरकार ने उसके बाद एक सामाजिक न्याय (30 जुलाई से 6 अगस्त, 2001) सप्ताह मनाया, जिसमें समिति के सुझावों पर राय मांगी गई थी। राजनाथ सरकार ने उस समय सरकार नौकरियों में जातियों के कुल प्रतिनिधित्व का आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षण भी कराया था। उस सर्वे के बाद राजनाथ सरकार ने ये नतीजा निकाला था कि आरक्षण अधिकांश लाभ पिछड़ी जातियों में यादवों को और अनुसूचित जातियों में जाटव, चमार और धुसिया को ही मिल रहा है। इन्हीं नतीजों के बाद यादवों और जाटवों को आरक्षण सीमित कर दिया गया था।

दरअसल, हाल में आरक्षण में कोटे में कोटा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस समय आया जब सात जजों की संविधान पीठ ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश मामले में 2004 के उसके फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत है या नहीं,पर विचार कर रह थी, जिसमें माना गया था कि अनुसूचित जातियों के बीच किसी तरह का उप–विभाजन नहीं हो सकता। ताजा फैसला उन राज्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा जो प्रमुख अनुसूचित जातियों की तुलना में आरक्षण के बावजूद को आरक्षण का व्यापक लाभ देना चाहते हैं।

कोर्ट के इस तथ्य पर मुहर लगाने के बाद कि ऐतिहासिक और अनुभवजन्य साक्ष्य यही बताते हैं कि अनुसूचित जातियां एक समरूप वर्ग नहीं हो सकतीं, राज्यों को आरक्षण पर अपने हिसाब से कानून बनाने का मौका मिल सकेगा। उप–वर्गीकरण रणनीति का पंजाब में वाल्मीकि और महजबी सिखों, आंध्र प्रदेश में मडिगा के अलावा बिहार में पासवान, यूपी में जाटव और तमिलनाडु में अरूंधतिर समुदाय पर सीधा असर पडेगा। इस मामले में शीर्ष कोर्ट की पीठ ने 8 फरवरी 2024 को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। उस समय अदालत ने कहा कि उप–वर्गीकरण की अनुमति न देने से ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी, जिसमें इस वर्ग के सम्पन्न लोग ही सारे लाभ हड़प लेंगे।

बता दें इससे पहले, 2004 में पांच न्यायाधीशें की पीठ ने फैसला दिया था कि यह अधिसूचित करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को ही है कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत किस समुदाय को आरक्षण का लाभ मिल सकता है। राज्यों को इसमें किसी भी तरह के संशोधन का अधिकार नहीं है। तब पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से वर्ष 2000 में लाए गए इसी तरह के एक कानून को रद्द कर दिया। ई. वी. चिन्नैया मामले में शीर्ष कोर्ट ने आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति (आरक्षण का युक्तिकरण) अधिनियम, 2000 को समानता के अधिकार का उल्लंघन करार देते हुए रद्द कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने जहां छह.एक के बहुमत से एससी.एसटी आरक्षण में कोटे के भीतर कोटे को संविधान सम्मत बताया वहीं चार न्यायाधीशों ने इन वर्गों के आरक्षण में उसी तरह क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू करने की भी आवश्यकता जताई जैसी ओबीसी आरक्षण में है सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने जहां छह.एक के बहुमत से एससी.एसटी आरक्षण में कोटे के भीतर कोटे को संविधानसम्मत बतायाए वहीं चार न्यायाधीशों ने इन वर्गों के आरक्षण में उसी तरह क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू बात अभी आये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कि जाये तो सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने जहां छह–एक के बहुमत से एससी–एसटी आरक्षण में कोटे के भीतर कोटे को संविधान सम्मत बताया, वहीं चार न्यायाधीशों ने इन वर्गों के आरक्षण में उसी तरह क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू करने की भी आवश्यकता जताई, जैसी ओबीसी आरक्षण में है। सच यह है कि ओबीसी समाज की तरह एससी–एसटी समुदाय में भी कई जातियों की आर्थिक–सामाजिक स्थिति न केवल कहीं कमजोर है, बल्कि उन्हें अपने ही वर्ग की अन्य जातियों से भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। यह एक ऐसी सच्चाई है, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यह भी एक तथ्य है कि एससी–एसटी समुदाय में कई जातियां ऐसी हैं, जिन्हें आरक्षण का न के बराबर लाभ मिला है। ऐसा इसलिए हुआ है, क्योंकि आरक्षण का अधिक लाभ इन वर्गों की अपेक्षाकृत समर्थ जातियां उठाती हैं। यही स्थिति ओबीसी में है। कई अति पिछड़ी जातियों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा है।

सुप्रीम कोर्ट ने एससी–एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण करने का अधिकार राज्य सरकारों को भी दे दिया है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार का दुरुपयोग होने की भी आशंका जताई है, क्योंकि सत्तारूढ़ राजनीतिक दल वोट बैंक बनाने के लालच में एससी–एसटी जातियों का मनमाना उपवर्गीकरण कर सकते हैं।

ऐसे में यह जरूरी है कि राजनीतिक दलों यह बात अच्छी तरह से समझ लें कि आरक्षण सामाजिक न्याय का जरिया है, न कि वोट बैंक की राजनीति का हथियार। एससी–एसटी समुदाय को दिए जाने वाले आरक्षण में बंटवारा किया जाना इसलिए समय की मांग है, क्योंकि आइएएस–आइपीएस अधिकारियों के बच्चों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी स्थिति गांव में रहने वाले भूमिहीन–निर्धन लोगों के बच्चों जैसी है। अच्छा होगा कि एससी–एसटी आरक्षण का उप –वर्गीकरण करने के साथ ही उसमें क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया जाए। आरक्षित वर्गों में जो भी अपेक्षाकृत सक्षम और संपन्न हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाना सामाजिक न्याय की मूल भावना के खिलाफ तो है ही, वंचित–निर्धन लोगों के साथ किया जाने वाला अन्याय भी है। आरक्षण प्रदान करते समय यह देखा ही जाना चाहिए कि उसका लाभ पाने वाला पात्र

बंगाल का नया कानून

अपराजिता बिल: पश्चिम बंगाल में अब दुष्कर्मी को मिलेगी फांसी

पश्चिम बंगाल विधानसभा में सर्वसम्मति से दुष्कर्म रोधी विधेयक पारित किया। इस विधेयक में पीड़िता की मौत या "कोमा" जैसी स्थिति में जाने पर दोषियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस्तीफे की मांग की, जिन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून नहीं बनाए हैं।

इस विधेयक का नाम है "अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024"। इसका उद्देश्य दुष्कर्म और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधान लागू करना और महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करना है।

यह विधेयक कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में नौ अगस्त को एक महिला चिकित्सक के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के बाद देशव्यापी नाराजगी के संदर्भ में लाया गया है। डॉक्टर्स न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके मद्देनजर विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था।

विधेयक का उद्देश्य भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और पॉक्सो अधिनियम 2012 में संशोधन करना है, ताकि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा के मामलों की त्वरित सुनवाई और कठोर सजा

सुनिश्चित की जा सके।

इसमें कई संशोधन प्रस्तावित हैं, जैसे दुष्कर्म के दोषियों के लिए कम से कम 10 साल की सजा और सामूहिक दुष्कर्म के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान। विधेयक में यौन हिंसा की शिकार महिलाओं की पहचान सार्वजनिक करने पर भी सजा को बढ़ाया गया है। हालांकि, विधेयक को लागू करने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होगी। विधानसभा में भाजपा विधायकों ने भी इसका समर्थन किया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने इसे राजनीतिक मकसद से प्रेरित बताया। मुख्यमंत्री ने केंद्र से कानूनों में संशोधन करने की मांग की थी, लेकिन जब उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो यह कदम उठाया गया।

IMF ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने सितंबर 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाते हुए इसे 7 प्रतिशत तक कर दिया है। यह अनुमान पहले 6.8 प्रतिशत था, लेकिन IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था में जारी मजबूती, औद्योगिक वृद्धि, और ग्रामीण खपत में सुधार के कारण इसे बढ़ाया है। IMF के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद स्थिर और सकारात्मक प्रगति कर रही है, जो इसे अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभार रही है।

आर्थिक वृद्धि के कारण

प्डथ ने भारत की बढ़ती घरेलू मांग, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती खपत और शहरी क्षेत्रों में बढ़ते निवेश को मुख्य कारण बताया है। इसके अलावा, सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सुधार, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएं (PLI), और ढांचागत विकास में निवेश से भी आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिला है। आईटी सेक्टर, सेवा उद्योग, और स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी लगातार सुधार हो रहा है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में स्थिरता और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।

वैश्विक चुनौतियों के बावजूद मजबूती

दुनियाभर में मंदी और कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं में धीमी प्रगति के बावजूद, भारत की अर्थव्यवस्था अपने विकास पथ पर बनी हुई है। IMF ने यह भी कहा कि भारत के पास वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार करने की क्षमता है और इसने वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में भी सफलता प्राप्त की है। भारत की सरकार द्वारा लगातार बुनियादी ढांचे में निवेश और निजी निवेश को आकर्षित करने की नीतियां भी इस वृद्धि के पीछे एक प्रमुख कारक हैं।

भविष्य की दिशा

IMF का यह अनुमान इस बात का संकेत है कि भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनी रहेगी। आगामी वर्षों में, यदि भारत अपनी नीतियों में सुधार जारी रखता है, तो यह उभरते बाजारों में एक बड़ी शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकता है। इसके अलावा, वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद, भारत के आर्थिक विकास के मजबूत बने रहने की संभावना है, जिससे इसका वैश्विक महत्व बढ़ेगा।

भारत की इस वृद्धि से न केवल देश के नागरिकों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं, बल्कि वैश्विक बाजार में भी इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ रही है। प्डथ के इस बढ़े हुए अनुमान से यह भी स्पष्ट होता है कि भारत वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

अब 3D मेटावर्स पर दिखेंगे लखनऊ-प्रयागराज के पर्यटन स्थल, प्रदेश के 100 प्रमुख स्थलों का होगा वर्चुअल भ्रमण

लखनऊ और प्रयागराज के पर्यटन स्थलों को 3डी मेटावर्स पर दिखाया जाएगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की इस परियोजना के तहत, इन शहरों की 1,500 प्रमुख जगहों का 3डी मेटावर्स अनुभव तैयार किया जाएगा. इसके लिए, इन जगहों का विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार अब डिजिटल तकनीक के जरिए राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर लखनऊ और प्रयागराज के 1500 प्रमुख पर्यटन स्थलों को 3क मेटावर्स प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित किया जाएगा। योगी सरकार की पहल पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों को 3क मेटावर्स प्लेटफॉर्म और ऑडियो टूर पोर्टल के जरिए पर्यटकों के लिए डिजिटल रूप से सुलभ बनाया जा रहा है। इस अत्याधुनिक परियोजना के तहत लखनऊ और प्रयागराज के 1500 प्रमुख स्थलों का 360–डिग्री पैनोरमिक डेटा एकत्र कर, उन्हें जियो–रेफरेंस मैप्स से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, क्यूआर कोड इनेबल्ड ऑडियो टूर की सुविधा से प्रदेश के 100 प्रमुख स्थलों का वर्चुअल भ्रमण भी जल्द ही संभव होगा। मेटावर्स के जरिए वर्चुअल अनुभव मुख्यमंत्री योगी

आदित्यनाथ की मंशा अनुसार, पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण लखनऊ और प्रयागराज शहरों की 1500 प्रमुख जगहों का 3क् मेटावर्स अनुभव तैयार किया जाएगा। इसके लिए 360–डिग्री पैनोरमिक डेटा संकलित कर उसे एक इंटीग्रेटेड सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा इन जगहों का विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है, ताकि पर्यटक आभासी दुनिया में इन जगहों का सजीव अनुभव कर सकें। एक वेब और मोबाइल एप्लिकेशन का भी निर्माण किया जाएगा, जो पर्यटकों को लखनऊ और प्रयागराज के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का वर्चुअल टूर उपलब्ध कराएगा। 1500 लैंडमार्क्स का 360–डिग्री पैनोरमिक डेटा संग्रहण लखनऊ और प्रयागराज में 1500 महत्वपूर्ण स्थलों के 360–डिग्री पैनोरमिक दृश्य संकलित किए जाएंगे। इन स्थलों में ऐतिहासिक धरोहरें, मंदिर, बाजार, और पर्यटन स्थल शामिल होंगे। प्रमुख हेरिटेज स्थानों में लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा, चिकनकारी हब और प्रयागराज के कुंभ मेले के घाटों, हनुमान मंदिर, और अन्य धार्मिक स्थलों को डिजिटल रूप में दर्शाया जाएगा। इस वर्चुअल टूर के जरिए पर्यटक इन जगहों का आभासी दौरा कर सकेंगे, जिससे पर्यटन का अनुभव नए आयाम तक पहुंच जाएगा। 100 स्थलों के लिए ऑडियो टूर की सुविधा पर्यटकों के लिए क्यूआर कोड इनेबल्ड ऑडियो टूर पोर्टल भी विकसित किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 100 प्रमुख स्थलों पर ध्वनि आधारित भ्रमण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, श्रावस्ती, लखनऊ और आगरा सहित प्रमुख शहरों के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों पर यह ऑडियो टूर होगा। पर्यटक अपने स्मार्टफोन के जरिए क्यूआर कोड स्कैन कर इन स्थलों की जानकारी ऑडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। प्रयागराज के पब्लिक लाइब्रेरी, इलाहाबाद म्यूजियम, चंद्रशेखर आजाद पार्क, अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और कपिलवस्तु के स्तूप जैसे कई महत्वपूर्ण स्थलों को इस सुविधा में शामिल किया जाएगा। पर्यटन को नया आयाम देने की तैयारी उत्तर प्रदेश को देश का 'मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन' बनाने की दिशा में यह कदम न केवल पर्यटन के विकास में मदद करेगा, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को भी एक नया आयाम देगा। यह परियोजना पर्यटकों को उनके घर बैठे प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का आभासी अनुभव कराएगी और उन्हें वास्तविकता के करीब लाने का प्रयास करेगी। ऑडियो टूर और मेटावर्स जैसी नई तकनीकें पर्यटन को और अधिक सुलभ और आकर्षक बनाएंगी। अत्याधुनिक तकनीक से सजीव चित्रण परियोजना के तहत सभी स्थलों का डेटा और कंटेंट इस तरह से तैयार किया जाएगा कि पर्यटक उन स्थानों का अनुभव वास्तविक रूप से कर सकें। इस तकनीक से न केवल पर्यटन स्थलों का बेहतर प्रचार–प्रसार होगा, बल्कि देश–विदेश के पर्यटक भी उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों से जुड़ सकेंगे। यह परियोजना उत्तर प्रदेश में पर्यटन को डिजिटल युग में ले जाने की एक बड़ी पहल है। लखनऊ और प्रयागराज के प्रमुख स्थलों का 3क् मेटावर्स और क्यूआर कोड इनेबल्ड ऑडियो टूर पर्यटकों को एक अनोखा और समृद्ध अनुभव प्रदान करेगा। इससे न केवल राज्य के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश को एक वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने में भी मदद मिलेगी।

आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ा, जानिए योजना से किसे क्या-क्या फायदा होगा

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को आयुष्मान भारत योजना के विस्तार को मंजूरी दी है। इस निर्णय से 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त हो सकेगा। केंद्र सरकार ने यह अहम कदम स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उठाया है, आयुष्मान भारत योजना का लाभ अब 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को मिलेगा। 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा ने इसे अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। इस योजना के विस्तार के लिए कैबिनेट की सहमति दी गई है।

आइए पहले जानते हैं कि आयुष्मान भारत योजना क्या है।

भारत सरकार ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी। यह पहल सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य सभी को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना है। इस योजना के दो प्रमुख घटक हैंकृ पहला, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, और दूसरा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (प्रधानमंत्री–जय)। 23 सितंबर, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के रांची में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी।

अब जानते हैं कि सरकार ने अभी क्या निर्णय लिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत योजना के विस्तार को स्वीकृति दी है। अप्रैल 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस योजना का कवरेज बढ़ाने की घोषणा की थी। अब इस निर्णय के अनुसार, 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा, जिसका लक्ष्य है कि छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाए।

आयुष्मान भारत योजना का विस्तार क्यों हुआ और इससे किसे लाभ मिलेगा?

सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के विस्तार में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को शामिल कर लिया है। इस फैसले से लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ होगा। 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिक, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, अब इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। पात्र वरिष्ठ नागरिकों को नया कार्ड जारी किया जाएगा। जो पहले से इस योजना में शामिल हैं, उनके लिए अलग से पांच लाख रुपये का टॉप–अप कवर मिलेगा, लेकिन यह कवर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साझा नहीं किया जा सकेगा।

योजना में लाभ किस आधार पर दिया जाता है?

आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य 55 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। योजना के तहत SECC & 2011 जनगणना के तहत पात्र व्यक्तियों को लाभ दिया जाता है। यह योजना पूरी तरह से सरकारी वित्तपोषित है, और इसका खर्च केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बांटा जाता है।

क्या योजना का विस्तार पहले भी हुआ है?

योजना का लाभ समय–समय पर विस्तारित किया गया है। शुरुआत में 10.74 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों को शामिल किया गया था। बाद में 2022 में इसे बढ़ाकर 12 करोड़ परिवारों तक कर दिया गया। इसके अलावा, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के लिए भी यह योजना विस्तारित की गई थी। अब इसे 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों के लिए बढ़ाया गया है।

आयुष्मान भारत योजना के लाभ

यह योजना प्रति परिवार को हर साल 5,00,000 रुपये तक का कैशलेस कवर प्रदान करती है। इसका लाभ पूरे परिवार द्वारा लिया जा सकता है। इसमें कोई आयु सीमा नहीं है और पहले से मौजूद बीमारियों को भी कवर किया जाता है। इसमें 874 पैकेज और 1592 प्रक्रियाएं शामिल हैं। इसका लाभ सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में लिया जा सकता है।

योजना में होने वाले खर्च

- टेस्ट, उपचार और परामर्श
- अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद की देखभाल
- दवा और चिकित्सा उपभोग्य वस्तुएं
- सर्जरी और उपचार सेवाएं
- अस्पताल में रहने की सुविधाएं

तिरुपति मंदिर को चढ़ावे में मिला 11329 किलो सोना, 1167 करोड़ की आय सिर्फ ब्याज से

तिरुपति बालाजी, जिसे तिरुमला मंदिर भी कहा जाता है, भारत के सबसे धनी मंदिरों में से एक है। यहां हर साल अरबों रुपये का चढ़ावा आता है।

आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। तिरुपति बालाजी, जिसे तिरुमला मंदिर भी कहा जाता है, भारत के सबसे धनी मंदिरों में से एक है। यहां हर साल अरबों रुपये का चढ़ावा आता है। आइए जानते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर का इतिहास और इसे सबसे धनी मंदिरों में क्यों गिना जाता है। साथ ही, यहां हर साल कितनी संपत्ति आती है? तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर मंदिर का वर्तमान बजट 5000 करोड़ रुपये से अधिक है, इसे संचालित करने वाला टीटीडी ट्रस्ट की कुल संपत्ति 18,000 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। टीटीडी का कुल स्वर्ण भंडार 11,329 किलोग्राम है।

तिरुपति बालाजी मंदिर का इतिहास:

तिरुपति जिले के तिरुमला पहाड़ियों में स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान विष्णु के वेंकटेश्वर रूप को समर्पित है और इसे श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, तिरुमला मंदिर, तिरुपति मंदिर और तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसका प्रबंधन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है, जो आंध्र प्रदेश सरकार के अधीन है।

मंदिर की संपत्ति

तिरुपति बालाजी मंदिर का बजट 5000 करोड़ रुपये से भी अधिक है, और भगवान बालाजी की संपत्ति देश की कई बड़ी कंपनियों से भी अधिक है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में मंदिर ने 1,161 करोड़ की जमा राशि अर्जित की। इस राशि से टीटीडी के सावधि जमा 18,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गए। इसके साथ ही, मंदिर ने 1,031 किलोग्राम सोने का संग्रह किया, जिससे इसका कुल स्वर्ण भंडार 11,329 किलोग्राम हो गया। टीटीडी ने 2024–25 के लिए 5,142 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया, जो 2023–24 के बजट 5,123 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक है।

आय के स्रोत

श्री वेंकटेश्वर मंदिर को कई स्रोतों से आय प्राप्त होती है, जिसमें सबसे बड़ा स्रोत भक्तों द्वारा दिया गया चढ़ावा है, जिसे श्हुंडी कनुकाश कहा जाता है। भक्तों ने एक साल में 1,611 करोड़ रुपये का चढ़ावा दिया। इसके अलावा, 1,167 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में आए, और प्रसादम से 600 करोड़ रुपये की कमाई हुई। अन्य स्रोतों में दर्शन से 338 करोड़ रुपये, और कल्याण मंडपम व अन्य सेवाओं से 246 करोड़ रुपये शामिल हैं।

भक्तों का योगदान

भक्तों ने भगवान बालाजी के नाम पर 11,225 किलोग्राम सोना दान किया है। इसके अलावा, टीटीडी के पास 6,000 एकड़ वन भूमि और 7,636 एकड़ अन्य अचल संपत्तियां हैं। मंदिर के पास देशभर में 71 मंदिर भी हैं, और 535 अन्य संपत्तियां हैं जिनसे सालाना 4 करोड़ रुपये की आय होती है।

मंदिर के बजटका उपयोग

2024–25 के बजट के अनुसार, टीटीडी ने कर्मचारियों के वेतन पर 1,733 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि सामग्री की खरीद पर 751 करोड़ रुपये खर्च हुए। इंजीनियरिंग कार्यों के लिए 350 करोड़ रुपये और इंजीनियरिंग रखरखाव के लिए 190 करोड़ रुपये का अनुमान है।

जानिए कैसे बनते हैं उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर के प्रसाद में मिलने वाले लड्डू और कहां से आता है इसके लिए घी-बेसन

तिरुपति में स्थित श्री वेंकटेश्वर मंदिर के प्रसाद लड्डू में गाय की चर्बी और मछली के तेल के उपयोग की खबर ने करोड़ों सनातन धर्म के अनुयायियों को स्तब्ध कर दिया है।

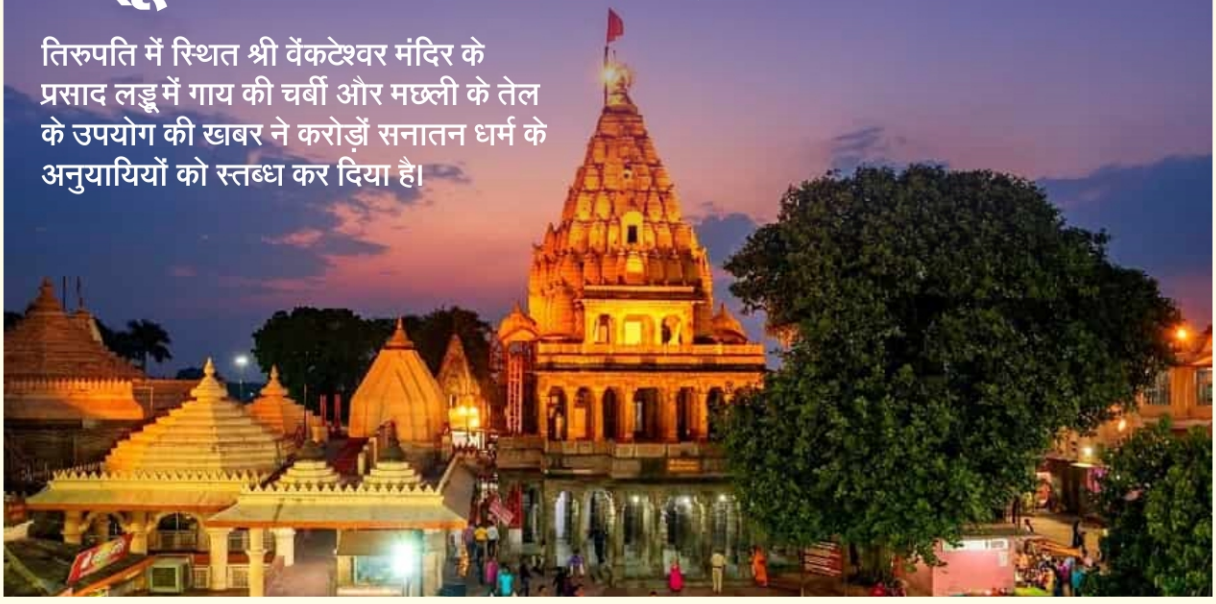

देश के सबसे लोकप्रिय और समृद्ध धार्मिक स्थल तिरुपति में स्थित श्री वेंकटेश्वर मंदिर के प्रसाद लड्डू में गाय की चर्बी और मछली के तेल के उपयोग की खबर ने करोड़ों सनातन धर्म के अनुयायियों को स्तब्ध कर दिया है। आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा इस जानकारी के सार्वजनिक होते ही मामला बढ़ गया और अब यह अदालत तक पहुंच चुका है, जहां जांच की मांग की जा रही है। यह मामला किस दिशा में जाएगा, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन इस घटना ने देश के कई अन्य धार्मिक स्थलों के प्रसाद की शुद्धता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी संदर्भ में हम मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर के प्रसाद के बारे में जानेंगेकृयह कैसे तैयार होता है, इसमें किस प्रकार का घी उपयोग होता है और इसकी शुद्धता की क्या व्यवस्था है।

नो प्रॉफिट और नो लॉस

तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर की तरह, उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में भी भगवान महाकाल को लड्डू का भोग अर्पित किया जाता है। भक्तों को यह लड्डू प्रसाद सशुल्क उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन इसे नो प्रॉफिट–नो लॉस के आधार पर दिया जाता है। यानी लड्डू बनाने में जितना खर्च होता है, उसी के हिसाब से भक्तों से शुल्क लिया जाता है। मंदिर समिति इस पर कोई लाभ नहीं कमाती।

भक्तों को यह लड्डू 50 रुपये से लेकर 400 रुपये तक के पैकेट में मिलता है।

दाल पीसकर बनता है बेसन, शुद्ध घी का उपयोग

श्री महाकालेश्वर मंदिर का प्रसाद चिंतामण क्षेत्र स्थित मंदिर समिति की इकाई में तैयार होता है। इसकी पूरी प्रक्रिया अधिकारियों की देखरेख में की जाती है। मंदिर प्रबंध समिति बेसन की बजाय चने की दाल खरीदती है, जिसे मंदिर में लगी चक्की में पीसकर बेसन बनाया जाता है। लड्डू में उपयोग होने वाला देसी घी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिकृत सांची डेयरी से खरीदा जाता है, और सभी सामग्री की गुणवत्ता की जांच के बाद ही उपयोग की जाती है।

टेस्टिंग के बाद ही मिलते हैं ड्रायफ्रूट्स

श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति को प्रसाद की शुद्धता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार मिल चुके हैं, जिसमें ।ळम् भोग प्रसाद और 5–स्टार रेटिंग शामिल हैं। लड्डू में उपयोग होने वाले ड्रायफ्रूट्स भी टेस्टिंग के बाद ही शामिल किए जाते हैं। अब तक कोई भी लड्डू का सैंपल फेल नहीं हुआ है, और प्रसाद की

उच्च गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है।

हर दिन 30 क्विंटल लड्डू बनाए जाते हैं

लड्डू यूनिट के प्रभारी कमलेश सिसोदिया के अनुसार, सामान्य दिनों में 25 से 30 क्विंटल लड्डू बनाए जाते हैं, और विशेष अवसरों जैसे सावन सोमवार को 50–65 क्विंटल लड्डू तैयार किए जाते हैं। लड्डू के पैकेट 50, 100, 200 और 400 रुपये में उपलब्ध होते हैं।

अयोध्या में भेजे गए थे महाकाल के लड्डू

श्री महाकालेश्वर मंदिर के लड्डू प्रसाद को उसकी शुद्धता के कारण अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के दौरान भेजा गया था। यह लड्डू 20 दिनों तक खराब नहीं होते, जिससे श्रद्धालु इन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं।

प्रसाद की गुणवत्ता पर अवॉर्ड

श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित आशीष शर्मा ने बताया कि मंदिर को लड्डू प्रसाद की उच्च गुणवत्ता के लिए तीन से चार बार पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा दिया गया सम्मान भी शामिल है। तिरुपति और महाकाल दोनों स्थानों पर भगवान को बेसन के लड्डू का भोग लगाया जाता है, लेकिन तिरुपति के लड्डू में नुक्ति और कपूर डाला जाता है, जबकि महाकाल का प्रसाद बेसन का होता है, जो जल्दी खराब नहीं होता।

जांच की आवश्यकता

महाकाल मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा के अनुसार, तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद की गड़बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसे मामलों में कड़ी जांच और कार्रवाई होनी चाहिए।

95 फीसदी मुस्लिम आबादी वाले ताजिकिस्तान में हिजाब पर रोक, अवैध मस्जिदों में खुले कैफे

द डिप्लोमेट की एक रिपोर्ट की मानें तो ताजिकिस्तान की सरकार ने बीते कुछ सालों के भीतर दो हजार से भी ज्यादा मस्जिदें बंद करते हुए उन्हें कैफे, सिनेमाघर, फैक्ट्री या सोशल वर्क सेंटरों में बदल दिया। इसका मकसद धार्मिक प्रैक्टिस को कट्टरता से दायरे से बाहर लाना था।

अफगानिस्तान में हाल ही में एक आदेश जारी किया गया, जिसमें धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने महिलाओं के बोलने और गाने पर प्रतिबंध लगा दिया। उनका कहना है कि महिलाओं की आवाज "घनिष्ठ" होती है, इसलिए उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर चुप रहना चाहिए। तालिबान के आने के बाद से देश में चरमपंथ बढ़ गया है। वहीं, 90 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम आबादी वाले ताजिकिस्तान में कट्टरता के खिलाफ संघर्ष चल रहा है। जहां अधिकतर इस्लामी देश महिलाओं के लिए विशेष ड्रेस कोड और नियमों की बात करते हैं, वहीं ताजिकिस्तान बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। यहां की सरकार ने हिजाब पहनने और दाढ़ी बढ़ाने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा, बच्चों को सार्वजनिक धार्मिक आयोजनों में शामिल होने की अनुमति नहीं है। सरकार देश में मस्जिदों को भी बंद कर रही है और उनकी जगह व्यावसायिक दुकानों का निर्माण कर रही है।

हिजाब पर कानूनी प्रतिबंध

ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन लगातार हिजाब को "विदेशी पोशाक" कहते रहे हैं और सार्वजनिक

स्थानों पर इसे पहनने का विरोध करते रहे हैं। उनके सत्ता में आने के बाद से ही हिजाब पर अनौपचारिक रूप से प्रतिबंध देखने को मिला, हालांकि उस समय कोई नियम या सजा तय नहीं थी। अब लगभग दो महीने पहले, ताजिकिस्तान ने संसद में प्रस्ताव पास करके हिजाब पर आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके तहत हिजाब पहनने, बेचने–खरीदने और इसे बढ़ावा देने पर भी प्रतिबंध है।

नियम तोड़ने पर जुर्माना

यह प्रतिबंध केवल कहने भर का नहीं है। अगर कोई महिला इस नियम का उल्लंघन करती है तो उस पर लगभग 700 डॉलर का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कोई सरकारी कर्मचारी महिला ऐसा करती है तो उसे और भी अधिक जुर्माना देना होगा। हिजाब के अलावा ताजिक सरकार ने कई धार्मिक प्रथाओं पर भी रोक लगाई है। सबसे चौंकाने वाला फैसला मस्जिदों के बारे में था।

मस्जिदों को कैफे में बदला गया

"द डिप्लोमेट" की एक रिपोर्ट के अनुसार, ताजिकिस्तान सरकार ने पिछले कुछ सालों में दो हजार से अधिक मस्जिदों को बंद करके उन्हें कैफे, सिनेमाघर, फैक्ट्री या सामाजिक कार्य केंद्रों में बदल दिया। इसका उद्देश्य धार्मिक प्रथाओं को कट्टरता से बाहर लाना था। राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन ने यह कदम धीरे–धीरे उठाया। पहले उन मस्जिदों को नोटिस जारी किया गया जिनके पास पंजीकरण नहीं था। बाद में, अनाधिकृत धार्मिक स्थानों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया।

ऐसे फैसले क्यों ले रही है सरकार?

2020 में, ताजिकिस्तान की कुल आबादी में 96 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम थे, इसलिए इस तरह के फैसले चौंकाने वाले हैं। राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन के इन कदमों के पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है– धार्मिक कट्टरता को कम करते हुए बाकी दुनिया से जुड़ना। 90 के दशक में सोवियत संघ (अब रूस) से अलग होने के बाद, ताजिकिस्तान में कई कट्टरपंथी ताकतें उभरीं, जो आपस में लड़ाई करके सत्ता हासिल करना चाहती थीं। इसका परिणाम यह हुआ कि स्वतंत्रता के लगभग छह साल तक देश में युद्ध चलता रहा।

चरमपंथी दलों पर प्रतिबंध

इसके बाद, रहमोन ने कट्टरपंथ पर नियंत्रण के लिए संसद के माध्यम से कई कदम उठाए। हालांकि इसके लिए उन्हें भीतर और बाहर विरोध का सामना करना पड़ा।

जैसे, अपने ही देश के कट्टरपंथी संगठन इस्लामिक पुनर्जागरण पार्टी को प्रतिबंधित कर दिया। कई अन्य संगठनों को भी प्रतिबंधित किया गया जिन्हें पहले राजनीतिक दलों का दर्जा मिला हुआ था। दूसरे देशों ने भी रहमोन पर धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया, लेकिन इसके बावजूद वे सत्ता में बने रहे और बदलाव करते रहे।

महिलाओं की स्थिति में सुधार

धार्मिक कट्टरता पर कड़ी कार्रवाई के बाद से महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। उन्हें राजनीति और प्रशासन में जगह मिली है, लेकिन उनकी व्यक्तिगत स्थिति में कोई खास फर्क नहीं आया। यूनिसेफ की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, देश की 40 प्रतिशत से अधिक महिलाएं अभी भी घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं।

न्यायपालिका को अपराधी नहीं, पीड़ित के पक्ष में खड़ा होना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट का अपना पक्ष हो सकता है लेकिन सभी आपराधिक मामलों के समय यह कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। अपराध करने वाला अगर ताकतवर हो तो वह कानून को अपने हिसाब से 'खरीद' लेता है। अपना सही–गलत बचाव करने के लिए वकीलों की पूरी फौज कोर्ट में उतार देता है।

संजय सक्सेना, लखनऊ

यह बात समझ से परे है कि जो लोग जघन्य अपराध करते हैं? छोटी–छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करते समय सरकार पूरी तरह से कानून का पालन करे। तर्क दिया जाता है कि अपराध कोई एक व्यक्ति करता है तो उसके पूरे परिवार को इसका खामियाजा क्यों भुगतना पड़े। ऐसे तर्क देने वालों को समझना चाहिए कि जब किसी एक बच्ची के साथ दुष्कर्म या परिवार के किसी सदस्य के साथ कोई आपराधिक वारदात होती है तो उसका खामियाजा जब पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है, तो फिर अपराधी को इस आधार पर कैसे छूट दी जा सकती है कि उसके किये अपराध की सजा पूरे परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। बात सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की हो रही है जिसमें उसने राज्य सरकारों द्वारा की जा रही बुलडोजर की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह उठाया था। सुप्रीम कोर्ट का अपना पक्ष हो सकता है लेकिन सभी आपराधिक मामलों के समय यह कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। अपराध करने वाला अगर ताकतवर हो तो वह कानून को अपने हिसाब से 'खरीद' लेता है। अपना सही–गलत बचाव करने के लिए वकीलों की पूरी फौज कोर्ट में उतार देता है। क्या यह सही नहीं है कि आज भी जेलों में छोटे मोटे अपराध करने वालों को इसलिये जमानत नहीं मिल पा रही है क्योंकि वह आर्थिक रूप से सबल नहीं हैं। उनका दर्द कोर्ट की चौखट तक पहुंच ही नहीं पाता है। सुप्रीम कोर्ट इस बात की व्याख्या कभी क्यों नहीं करता है कि एक मुकदमे में वादी–प्रतिवादी की तरफ से कितने अधिवक्ता बहस कर सकते हैं।

यह सच नहीं है कि सरकार हर एक अपराधिक मामले मे बुलडोजर लेकर खड़ी हो जाती है, लेकिन माहौल ऐसा बना दिया जाता है जैसे सरकार बहुत बड़ी कसूरवार हो। खासकर योगी सरकार पर तो यह भी आरोप लगते हैं कि वह मुस्लिमों के खिलाफ ज्यादा बुलडोजर कार्रवाई करते हैं। ऐसी बातें करने वाली कानून की आड़ में अपने अपराध पर पर्दा डालने का काम करते हैं। बता दें कई राज्यों में प्रशासन द्वारा आरोपियों के घर पर बुल्डोजर चलाए जाने पर 02 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था। कोर्ट का सवाल था कि कानून में तय प्रक्रिया का पालन किये बगैर किसी का घर कैसे ढहाया जा सकता है। सिर्फ किसी के अभियुक्त होने पर उसका घर कैसे ढहाया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने बगैर नोटिस के आरोपियों के घर ढहाने की शिकायत पर कहा कि अगर वह दोषी भी है तो भी कानून में तय प्रक्रिया के बगैर उसका घर नहीं ढहाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का यह कथन समानांतर सरकरार चलाने जैसा नजर आता है। खैर,सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में पूरे देश के लिए दिशा–निर्देश जारी करने का संकेत देते हुए सभी पक्षकारों से सुझाव मांगे हैं।यह कहते समय सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री

नरेन्द्र मोदी के उस बयान पर भी गौर फरमा लेता तो ज्यादा अच्छा होता जिमसें पीएम ने सुप्रीम कोर्ट के एक कार्यक्रम में उससे महिलाओं से जुड़े मामले जल्द से जल्द निपटाने की उम्मीद जताई थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी मौजूद थे।

हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं देंगे, लेकिन जिस तरह के आदेश कोर्ट जारी करती है उससे अवैध निर्माण को बढ़ावा मिलता ही है। पूरा देश अतिक्रमण की समस्या से जूझ रहा है इस के लिये सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने कभी उतने सख्त कदम नहीं उठाये जितने अतिक्रमण करने वालों के पक्ष में उठाये जाते हैं। कोई रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके बस्तियां बसा लेता है तो कोई नजूल की जमीन हाथिया कर बेच देता है। कोर्ट के आदेश से लगता है कि वह एक बेगुनाह को सजा न हो इसके लिये 199 गुनहगारों के प्रति नरम रवैया अख्तियार करने से संकोच नहीं करता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गैर कानूनी ढंग से निर्माण ढहाए जाने के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि कानून की तय प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई की जाती है। किसी अपराध में आरोपित होना कभी भी अचल संपत्ति के ध्वस्तीकरण का आधार नहीं हो सकता। मामले में 17 सितंबर को फिर सुनवाई होगी।

बता दे बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ ये टिप्पणियां और निर्देश न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने जमीयत उलमा ए हिंद व अन्य की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिए था। जमीयत ने याचिका में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में गैर कानूनी ढंग से आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाए जाने के आरोप लगाए हैं। याचिका में कहा है कि विभिन्न राज्यों में बुल्डोजर इंसाफ का खतरनाक चलन बढ़ा है। इसमें समुदाय विशेष को और वंचित वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। जमीयत की ओर से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे और फारुख रशीद पेश हुए, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहस की। उत्तर प्रदेश सरकार की

यह सच नहीं है कि सरकार हर एक अपराधिक मामले मे बुलडोजर लेकर खड़ी हो जाती है, लेकिन माहौल ऐसा बना दिया जाता है जैसे सरकार बहुत बड़ी कसूरवार हो। खासकर योगी सरकार पर तो यह भी आरोप लगते हैं कि वह मुस्लिमों के खिलाफ ज्यादा बुलडोजर कार्रवाई करते हैं।

ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि प्रदेश सरकार ने इस मामले में गत नौ अगस्त को ही हलफनामा दाखिल कर दिया था और उस हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध में आरोपी है तो उसका घर ढहाए जाने का यह आधार कतई नहीं हो सकता। कोई भी अचल संपत्ति सिर्फ, इस आधार पर नहीं ढहाई जा सकती कि व्यक्ति किसी अपराध में आरोपी है। मेहता ने कहा कि अचल संपत्ति म्युनिसिपल अधिनियम और विकास प्राधिकरणों के अधिनियम के उल्लंघन पर कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए ही ढहाई जाती है। पीठ ने मेहता से कहा कि अगर आप ये स्थिति स्वीकार कर रहे हैं तो अच्छी बात है। कोर्ट आपका बयान दर्ज करके पूरे देश के लिए दिशा–निर्देश जारी करेगा। मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता इस तरह से मामले को पेश कर रहे हैं, जैसे कि कोई किसी अपराध में आरोपी होता है तो उसका मकान ढहा दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं है। वह दिखा सकते हैं। अथॉरिटीज ने मकान ढहाए जाने से बहुत पहले नोटिस जारी किया था। निर्माण अवैध होने पर ही ढहाया जाता है।

पीठ ने भी स्पष्ट किया कि वह किसी अवैध निर्माण या सड़क पर अतिक्रमण को संरक्षित नहीं करेंगे, लेकिन इस संबंध में दिशा–निर्देश होने चाहिए। जस्टिस गवई ने कहा कि किसी का घर सिर्फ इसलिए कैसे गिराया जा सकता है कि वह आरोपी है। अगर वह दोषी भी है तो भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि अवैध निर्माण पर भी कानून के मुताबिक ही कार्रवाई हो सकती है। मेहता ने कहा कि इस मामले में जिनके घर ढहे हैं, उनकी जगह यहां याचिका जमीयत ने दाखिल की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का हलफनामा देखते हुए कोर्ट को यह मामला बंद कर देना चाहिए, लेकिन याचिकाकर्ता जमीयत की ओर से पेश वकील दुष्यंत दवे ने कोर्ट से इस संबंध में दिशा–निर्देश जारी करने का आग्रह किया। दुष्यंत दवे ने कहा कि यह मामला सिर्फ एक जगह का नहीं है, यह व्यापक मुद्दा है और कोर्ट को इस पर सुनवाई करके दिशा–निर्देश तय करने चाहिए। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कोई भी कमियों का फायदा न उठा पाए। निर्माण अवैध है तो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। एक पिता का बेटा अड़ियल हो सकता है, लेकिन इस आधार पर किसी का घर गिरा दिया जाए तो यह तरीका सही नहीं है। कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने भी बहस की। दवे और सिंह ने कहा कि यहां कुछ मामले ऐसे हैं, जिसमें किराएदार के आरोपी होने पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि सभी लोग अपने अपने सुझाव दाखिल करें, ताकि कोर्ट इस संबंध में पूरे देश के लिए उचित दिशा–निर्देश तय कर सके। अब अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट अपराधियों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो इस पर तो चिंतित दिखा लेकिन पूरी सुनवाई के दौरान उसने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे इस बात का अहसास होता कि कोर्ट की संवेदनाए पीड़ित पक्ष के साथ भी जुड़ी हुई हैं,जो चिंताजनक है। जब किसी सरकार में अपराध बढ़ते हैं तो तमाम कोर्ट उसको कटघरे में खड़ा करता है,लेकिन जब अपराध नियंत्रण के लिये कोई कार्रवाई की जाती है तो वह सरकार को ही कार्रवाई पर उंगली उठाती है।

भारत में मंकीपॉक्स का पहला मरीज दिल्ली में मिला

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को अस्पताल का आकस्मिक दौरा किया और मंकीपॉक्स और डेंगू के मामलों से निपटने के लिए अस्पताल की तैयारियों का जायजा लिया।

दिल्ली में मंकीपॉक्स का पहला पुष्टि किया गया मामला सामने आया है, जिसमें 26 वर्षीय एक पुरुष, जो हरियाणा के हिसार से है, को लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल में भर्ती किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को अस्पताल का आकस्मिक दौरा किया और मंकीपॉक्स और डेंगू के मामलों से निपटने के लिए अस्पताल की तैयारियों का जायजा लिया।

मरीज की यात्रा इतिहास एक ऐसे देश से जुड़ा है जहां मंकीपॉक्स का प्रसार अभी भी जारी है। उसे एलएनजेपी अस्पताल के विशेष आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक, मरीज के केवल जननांग क्षेत्र में घाव और शरीर पर चकत्ते हैं, लेकिन उसे बुखार नहीं है। शनिवार को उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था, और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मरीज एक युवा व्यक्ति है, जिसने हाल ही में मंकीपॉक्स प्रभावित देश की यात्रा की है और उसे तृतीयक देखभाल के आइसोलेशन में रखा गया है। मरीज की स्थिति स्थिर है और उसे कोई अन्य

बीमारी या सह–रुग्णता नहीं है।

स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जनता को आश्वासन दिया कि घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मंकीपॉक्स सीधे संपर्क से फैलता है, न कि हवा के जरिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मामले को 'एकल' के रूप में वर्गीकृत किया है और कहा कि आम जनता के लिए तत्काल कोई खतरा नहीं है। मंकीपॉक्स एक वायरस जनित रोग है जो मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति या जानवर के संपर्क में आने से फैलता है। यह सीधे संपर्क, शारीरिक संपर्क या दूषित सतहों के माध्यम से फैल सकता है। हालांकि, मंकीपॉक्स की गंभीरता आमतौर पर हल्की होती है और अधिकांश लोग बिना किसी बड़ी जटिलता के ठीक हो जाते हैं। एलएनजेपी अस्पताल और अन्य चिकित्सा संस्थानों में विशेष आइसोलेशन वार्ड और संक्रमण नियंत्रण प्रोटोकॉल तैयार किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जनता से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संक्रमण से बचने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करें। सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और आम जनता की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश में मस्जिद विवाद पर बवाल

इस घटना के चलते शिमला के मॉल रोड जैसी प्रमुख जगहों पर तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला और कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुईं।

सितंबर 2024 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक मस्जिद को लेकर बढ़ते विवाद ने राज्य में तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी। मस्जिद निर्माण को लेकर स्थानीय समुदायों के बीच मतभेद ने धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा दिया है, जिसके कारण हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इस घटना के चलते शिमला के मॉल रोड जैसी प्रमुख जगहों पर तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला और कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुईं।

विवाद की शुरुआत

यह विवाद तब शुरू हुआ जब मस्जिद के निर्माण को लेकर कुछ स्थानीय हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई। उनका दावा था कि मस्जिद का निर्माण अवैध है और इससे क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगड़ सकता है। मस्जिद के निर्माण के समर्थक, जो स्थानीय मुस्लिम समुदाय से संबंधित थे, का तर्क था कि यह धार्मिक स्थल उनकी समुदायिक आवश्यकताओं को पूरा करता है और इसमें कुछ भी अवैध नहीं है। इस मसले पर दोनों पक्षों में तनाव बढ़ने लगा, और धीरे–धीरे मामला राजनीतिक रंग लेने लगा।

प्रदर्शन और बवाल

विवाद के बाद हिंदू संगठनों ने शिमला में

विरोध प्रदर्शन किया, जो धीरे–धीरे हिंसक हो गए। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया और भीड़ को तितर–बितर करने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। इसके बावजूद, प्रदर्शनकारियों ने मॉल रोड पर दुकानें बंद कर दीं और जगह–जगह आगजनी की घटनाएं भी सामने आईं। शिमला के कई प्रमुख हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया।

प्रशासन की प्रतिक्रिया

स्थानीय प्रशासन ने विवाद को लेकर सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। शिमला के जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है और कहा है कि जो भी कानून का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, प्रशासन ने क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है, ताकि बड़े जमावड़े पर रोक लगाई जा सके और स्थिति को नियंत्रित किया जा सके।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ

इस मस्जिद विवाद ने राज्य की राजनीति में भी हलचल मचा दी है। विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह धार्मिक मुद्दों को सही तरीके से नहीं संभाल पा रही है, जिससे राज्य में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है। वहीं, सत्तारूढ़ दल ने विपक्ष पर मामले को भड़काने और राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया है। विभिन्न राजनीतिक और धार्मिक संगठनों ने इस मुद्दे पर अपनी–अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है।

भविष्य की दिशा

इस घटना ने हिमाचल प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव और धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे को एक बार फिर से प्रमुखता दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के विवादों से राज्य की शांति और सौहार्द्र पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। प्रशासन को जल्द ही इस मुद्दे का समाधान निकालने की जरूरत है, ताकि राज्य में शांति बहाल की जा सके और सांप्रदायिक तनाव को कम किया जा सके।

विवादों में रहीं जस्टिस विक्टोरिया गौरी बनी सुप्रीम कोर्ट की स्थायी जज

जस्टिस एलसी विक्टोरिया गौरी पहले भी चर्चा में रह चुकी हैं। 2023 में जब उन्हें मद्रास हाईकोर्ट में जज नियुक्त किया जा रहा था, तो उनका विरोध हुआ था।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट के पांच अतिरिक्त जजों को स्थायी जज बनाने की सिफारिश की। इससे पहले, मद्रास हाईकोर्ट कॉलेजियम ने 29 अप्रैल 2024 को इन जजों को स्थायी बनाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया था।

इस सिफारिश को मुख्यमंत्री और राज्यपाल की मंजूरी मिली, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक जज से परामर्श के बाद अंतिम निर्णय लिया गया। जस्टिस विक्टोरिया गौरी ने मदुरै के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री प्राप्त की और मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गौरी ने कॉलेज के दिनों में ही भाजपा से जुड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्होंने हाल ही में बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा देने की बात स्वीकार की है। उन्होंने 1995 में एक वकील के रूप में पंजीकरण कराया और 1997 में कन्याकुमारी में अपनी खुद की फर्म, वी–विक्ट्री लीगल एसोसिएट्स की शुरुआत की।

स्थायी जजों में शामिल जजों में तीन महिला जजें– जस्टिस एलसी विक्टोरिया गौरी, जस्टिस रामचंद्रन कलैमथी, और जस्टिस के. गोविंदराजन थिलकावडी हैं। इसके अलावा, जस्टिस पीबी बालाजी और जस्टिस केके रामकृष्णन भी इस सूची में शामिल हैं।

जस्टिस एलसी विक्टोरिया गौरी पहले भी चर्चा में रह चुकी हैं। 2023 में जब उन्हें मद्रास हाईकोर्ट में जज नियुक्त किया जा रहा था, तो उनका विरोध हुआ था। 21 वकीलों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर सिफारिश की फाइल को वापस करने की अपील की थी, जिसमें विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति की सिफारिश की गई थी। वकीलों ने दावा किया था कि विक्टोरिया गौरी बीजेपी नेता हैं और उनके कुछ बयानों को अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ बताया था। वकीलों ने आरोप लगाया था कि उनके विचार और धार्मिक कट्टरता उन्हें हाईकोर्ट के जज के तौर पर अयोग्य बनाते हैं।

विक्टोरिया गौरी के राजनीतिक जुड़ाव पर सवाल उठ चुके हैं। उन्होंने वकालत में 21 साल का अनुभव अर्जित किया है और तमिलनाडु के नागरकोइल में 1973 में जन्मी हैं। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि उन्होंने जून 2020 में बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक, उनकी ट्विटर प्रोफाइल पर श्चौकीदार विक्टोरिया गौरीश लिखा था, लेकिन अब उनका अकाउंट सक्रिय नहीं है।

वकीलों ने विरोध में आरएसएस द्वारा होस्ट किए गए यूट्यूब चौनल पर उनके दो इंटरव्यू का हवाला दिया, जिसमें एक इंटरव्यू में गौरी ने ईसाइयों और इस्लाम को लेकर विवादास्पद टिप्पणियां की थीं। इन टिप्पणियों को लेकर विवाद पैदा हुआ था।

मेरा पन्ना

कवयित्री प्रज्ञा श्रीवास्तव प्रज्ञाञ्जलि

एक थप्पड़

सुनो आँखें बंद करके
जीना सीख लो
एक थप्पड़ ही तो
मारा है बस
भूल जाओ,
आदमी है
परेशान था
काम करता है
कमा कर लाता है
जरूरतें पूरी करता है
परिवार की

थका हारा था
दिन भर का
बॉस की डांट
आफिस की चिक-चिक
समझा है कभी उसको
अब चलो मार भी दिया
तो क्या
लेकर बैठी रहोगी उसको
ढोंग मत करो
संभालो परिवार को
आदमी की जरुरत पूरी करना
औरत का फर्ज है
गांठ बांध लो
घर कैसे चलाते है
बस घर के चौका, बरतन
और चार रोटी
सेकने में
क्या मेहनत लगती है
जानती नही
आँसू बहाकर
नाटक मत करो
औरतों में दिमाग
कम होता है
समझी
दिमाग जिसके पास
सत्ता उसके पास

RNI No. UTTHIN/2021/80704

प्रकाशन की तिथि- प्रत्येक माह की 7 तारीख
प्रेषण दिनांक- प्रत्येक माह की 10 तारीख

विभिन्न विषयों पर आधारित राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

तीर निशाने पर

विशिखा

सदस्यता शुल्क (उत्तराखंड संस्करण)

				आपका फायदा
मूल्य प्रति कॉपी	35/-	35/- मात्र	0	0
एक वर्ष हेतु	420/-	385/-मात्र	11 महीने + 1 महीने मुफ्त	35/-
दो वर्ष हेतु	840/-	750/-मात्र	22 महीने + 2 महीने मुफ्त + 20/-	90/-

Paytm
9587455444

BANK DETAILS-
A/C No. – 6345002100000139
IFSC Code- PUNB0634500
A/C Off- VISHIKHA MEDIA
Bank - Punjab National Bank , Branch - NRI Circle, JAIPUR

विशिखा में विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें

तीन निशाने पर... विशिखा

मुख्यालय : विशिखा मीडिया 191/56, सेक्टर–19, प्रताप नगर, सांगानेर
जयपुर–302033 (राज.)
Contactus:+911413562171, 9587455444
E-mail:vishikhamedia@gmail.com | Website:www.vishikhamedia.in
vishikhamedia/ _vishikhamedia/ vishikhamedia